न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीणा, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू.	तारीख निर्णय
143/2020	02.12.2020	05-2-21

मोतीलाल पुत्र छाज्या, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी ––वादी

बनाम

1. मंगल पुत्र छाज्या, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2. जौहरी पुत्र छाज्या, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)

2/1.बाबूलाल पुत्र जौहरी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2/2.किशोर पुत्र जौहरी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2/3.बत्तीलाल पुत्र जौहरी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2/4.हरीसिंह पुत्र जौहरी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2/5.जीतराम पुत्र जौहरी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2/6.शकुन्तला पुत्री जौहरी पत्नि हुकमचंद, माली निवासी नौगांव

3. रामजीलाल पुत्र बंशी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
4. रामफूल पुत्र बंशी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
5. पून्या पुत्र बंशी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
6. श्याम पुत्र परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
7. बबलू पुत्र परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
8. लौहडी बेवा परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
9. काडू पुत्र सुवा, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
10. मंगती बेवा सुवा, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
11. रामकिशोर पुत्र ग्यारसीलाल, गुर्जर निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुरसिटी
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
13. छोटेलाल पुत्र रामदेव जाति माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
14. फोरन्ती पुत्री परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
15. रामप्यारी पुत्री परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
16. सोमोती पुत्री परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
17. केसर देवी पत्नि मिश्रीलाल, गुर्जर निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
18. बद्री पुत्र गुरग्या, गुर्जर नि0 अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

<u>दावा इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी, दुरूस्ती इन्द्राज, हुक्मइम्तनाई दवामी</u>

उपस्थितः– श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट, वादी की ओर से

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

[illegible]

वद्ध करेंगे जिसका कोई हक व अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का नाम डिक्री फरमाया जाकर घोषित किया जावे कि आराजी ख0नं0 1053 रकबा 58 एयर ग्राम अमरगढ का वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वर्तमान समस्त इन्द्राज निरस्त फरमाए जावें । इसी अनुसार कागजात सरकार लैण्ड रेकार्ड रेवेन्यु मे इन्द्राज खातेदारी की दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 12 को हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी ख0नं0 1053 रकबा 58 एयर ग्राम अमरगढ में वादी के कब्जे काश्त उपयोग व उपभोग मे किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं देवें और न किसी अन्य से दिलावें। भूमि को रहन बय नहीं करें न ही डौल मेड को फैलावें न ही भूमि में जबरन प्रवेश करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 के अलावा अन्य सभी प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए । अतः प्रतिवादी संख्या 13 के अलावा अन्य सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। जबाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 13 भी उपस्थित नहीं हुए।

प्रतिवादी संख्या 13 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि ग्राम अमरगढ में आराजी हाल ख0नं0 946 रकबा 6 एयर, ख0नं0 947 रकबा 7 एयर व ख0नं0 948 रकबा 7 एयर कुल किता 3 कुल रकबा 20 एयर भूमि हिस्सा 1/3 प्रतिवादी नम्बर 13 मिन जबाबदार ने रामबाबू, किशोर, बद्रीलाल, हरीसिंह, जीतराम पुत्रान जौहरया, शकुन्तला पुत्री जौहरया जाति माली निवासी अमरगढ से दिनांक 28 फरवरी 2008 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की हैं तभी से प्रतिवादी संख्या 13 उपरोक्त क्रयशुदा आराजी का काबिज खातेदार टीनेन्ट है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 13 के नाम बतौर खातेदार अंकित हो गई। ख0नं0 946 रकबा 6 एयर, ख0नं0 947 रकबा 7 एयर, ख0नं0 948 रकबा 7 एयर, ख0नं0 949 रकबा 9 एयर, ख0नं0 950 रकबा 19 एयर, ख0नं0 951 रकबा 22 एयर, ख0नं0 952 रकबा 9 एयर, ख0 नं0 953 रकबा 6 एयर, ख0नं0 954 रकबा 22 एयर, ख0नं0 967 रकबा 41 एयर, ख0नं0 988 रकबा 57 एयर, ख0नं0 989 रकबा 49 एयर कुल रकबा 2.54 है0 हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 13 ने मंगल पुत्र छाज्या प्रतिवादी सं0 2 से दिनांक 14.7.2004 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है एवं तभी से प्रतिवादी संख्या 13 बतौर खातेदार इस भूमि पर काबिज काश्त है। मौके पर पक्षकारान ने अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन कर रखा है एवं प्रतिवादी संख्या 13 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चला आ रहा

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई:—

1. आया आराजी साबिक खसरा नम्बर दर्ज वादपत्र नम्बर एक के वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 काबिज खातेदार टीनेन्ट हैं।

2. आया आराजी साबिक खसरा नम्बर 376 मिन रकबा 2 बीघा 9 विस्वा व खसरा नम्बर 381 मिन रकबा 3 विस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.58 हैक्टर के वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 काबिज खातेदार टीनेन्ट है। उक्त खसरा नम्बर से प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 12 का नाम हजफ करवाने के अधिकारी हैं।

3. आया जबाब दावा के मद नं0 1 व 2 में उल्लेखित जबाब अनुसार आराजी खसरा नम्बर 946 रकबा 6 एयर, 947 रकबा 7 एयर, 948 रकबा 7 एयर कुल किता 3 रकबा 20 एयर में हि0 2/3 प्रतिवादी नं0 13 ने मृतक प्रति0 नम्बर 2 के कायम मुकाम व प्रतिवादी नम्बर 2 से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करने व जमाबंदी में अंकन अनुसार 2/3 हिस्सा का काबिज खातेदार टीनेन्ट है। इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 949 रकबा 9 एयर, 950 रकबा 19 एयर, ख0नं0 951 रकबा 22 एयर, 952 रकबा 9 एयर, 953 रकबा 6 एयर, 954 रकबा 22 एयर, 967 रकबा 41 एयर, 988 रकबा 57 एयर, 989 रकबा 49 एयर कुल रकबा 2.34 हैक्टर हिस्सा 1/3 प्रतिवादी नं0 13 ने प्रतिवादी नम्बर 2 से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करने व जमाबंदी में 1/3 हिस्से का अंकन होने से उपरोक्त आराजी के 1/3 हिस्से के काबिज खातेदार टीनेन्ट हैं व इसी प्रकार आराजी का विभाजन कराने के अधिकारी हैं।

4. दादरसी ।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2058 से 2061 प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी सं0 2030 से 2033 प्रदर्श—2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श—3, प्रदर्श—4 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान पी0 डब्लू0 1 वादी मोतीलाल के कराए हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से ना तो कोई जबाब दावा प्रस्तुत हुआ है और ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी पक्ष सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1053 में वादी का, वादी के भाई जौहरया व मंगल का ही नाम साबिक रेकार्ड के अनुसार दर्ज होना चाहिए था परन्तु

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स.मा.)

भू प्रबन्ध विभाग ने इनके अलावा अन्य लोगों का नाम भी बतौर सहखातेदार दर्ज कर दिया है। वादी के भाई जौहऱ्या ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर दिया है। वर्तमान में इस भूमि में वादी के अतिरिक्त केशरदेवी का, वादी के भाई मंगल का हिस्सा दर्ज है जिसके अनुसार वे मौके पर काबिज भी हैं परन्तु अन्य लोगों का हिस्सा भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से दर्ज कर दिया गया है जो हजफ किए जाने योग्य है। इसी अनुसार वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। भूमि ख0नं0 1053 रकबा 0.58 है0 ग्राम मालियों की चौकी साबिक ख0नं0 376, 377, 381 से मिलकर बना है। साबिक ख0नं0 376, 381 वादी के पिता छाज्या की खातेदारी की भूमि रही है। जिसके अनुसार भूमि ख0नं0 1053 वादी, प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 की खातेदारी में आनी चाहिए थी परन्तु भू–प्रबन्ध में इसमें वादी, प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 के अलावा अन्य लोगों का नाम भी बतौर खातेदार अंकित कर दिया गया है जो गलत है। वादी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई इस गलती को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी जौहऱ्या ने अपने हिस्से की भूमि का विक्रय केसरदेवी को किया है इसलिए इस भूमि में प्रतिवादी केसरदेवी का हिस्सा दर्ज है, मंगल का हिस्सा भी दर्ज है, शेष भूमि वादी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 1053 रकबा 0.58 है0 ग्राम मालियों की चौकी में केशरदेवी पत्नि मिश्रीलाल जाति माली को 1/4 हिस्से का, मंगल पुत्र छाज्या माली को 172/725 हिस्से का व वादी मोतीलाल पुत्र छाज्या माली को 1487/2900 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख0नं0 1053 ग्राम मालियों की चौकी में दर्ज वर्तमान खातेदारी इन्द्राज हजफ किए जाकर उपरोक्तानुसार खातेदारी इन्द्राज दर्ज किए जावें। खातेदार केशरदेवी व मोतीलाल के नाम दर्ज बैंक रहन का इन्द्राज इनके नाम दर्ज होने वाली खातेदारी भूमि पर यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05-2-26 को सुनाया गया ।

(बजेन्द्र मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत — सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी
इजलास — बृजेन्द्र मीणा, आर0ए0एस0

उनवान

मोतीलाल पुत्र छाज्या, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. मंगल पुत्र छाज्या, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2. जौहरी पुत्र छाज्या, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
2/1.बाबूलाल पुत्र जौहरी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2/2.किशोर पुत्र जौहरी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2/3.बत्तीलाल पुत्र जौहरी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2/4.हरीसिंह पुत्र जौहरी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2/5.जीतराम पुत्र जौहरी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
2/6.शकुन्तला पुत्री जौहरी पत्नि हुकमचंद, माली निवासी नौगांव
3. रामजीलाल पुत्र बंशी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
4. रामफूल पुत्र बंशी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
5. पून्या पुत्र बंशी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
6. श्याम पुत्र परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
7. बबलू पुत्र परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
8. लौहडी बेवा परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
9. काडू पुत्र सुवा, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
10.मंगती बेवा सुवा, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
11.रामकिशोर पुत्र ग्यारसीलाल, गुर्जर निवासी मच्छीपुरा तहसील गंगापुरसिटी
12.लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
13.छोटेलाल पुत्र रामदेव जाति माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
14.फोरन्ती पुत्री परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
15.रामप्यारी पुत्री परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
16.सोमोती पुत्री परसादी, माली निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
17.केसर देवी पत्नि मिश्रीलाल, गुर्जर निवासी अमरगढ तहसील गंगापुर सिटी
18.बद्री पुत्र गुरग्या, गुर्जर नि0 अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी, दुरूस्ती इन्द्राज, हुक्मइम्तनाई दवामी

मुकदमा नं. —143/2020

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (स0मा0)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कार्रवाई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई —— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 1053 रकबा 0.58 है0 ग्राम मालियों की चौकी में केशरदेवी पत्नि मिश्रीलाल जाति माली को 1/4 हिस्से का, मंगल पुत्र छाज्या माली को 172/725 हिस्से का व वादी मोतीलाल पुत्र छाज्या माली को 1487/2900 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। ख0नं0 1053 ग्राम मालियों की चौकी में दर्ज वर्तमान खातेदारी इन्द्राज हजफ किए जाकर उपरोक्तानुसार खातेदारी इन्द्राज दर्ज किए जावें। खातेदार केशरदेवी व मोतीलाल के नाम दर्ज बैंक रहन का इन्द्राज इनके नाम दर्ज होने वाली खातेदारी भूमि पर यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे।

खर्चा डिक्री आज दिनांक 05-2-26 को जारी किया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी